IJAER/ May-June- 2024/Volume-13/Issue-3 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research
(Peer-Reviewed, Open Access, Fully Refereed International Journal) Impact Factor:7.06

पंचायतों के वित्तीय स्रोतों की समीक्षा और उपलब्ध निधियों के उपयोग की वास्तविक स्थिति

Rukma Chowdhary

Research Scholar, Faculty of Commerce & Management

Maharishi Arvind University, Jaipur (Rajasthan)

Dr. Sushma Mann

Research Supervisor, Associate Professor, Faculty of Commerce & Management

Maharishi Arvind University, Jaipur (Rajasthan)

सार

भारत में पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता और प्रबंधन शासन के प्रभावी विकेंद्रीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान में, पंचायतें जमीनी स्तर पर आवश्यक सेवाओं और विकास गतिविधियों के वितरण के लिए जिम्मेदार हैं। यह अध्ययन राज्य में पंचायतों के लिए उपलब्ध वित्तीय स्रोतों की जांच करता है, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों सरकारों से धन का आवंटन, साथ ही स्थानीय स्तर पर उत्पन्न राजस्व शामिल है। यह पेपर पंचायतों द्वारा इन निधियों के वास्तविक उपयोग की जांच करता है, इन संसाधनों के प्रबंधन में उनकी दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही का मूल्यांकन करता है। वित्तीय रिकॉर्ड, सरकारी रिपोर्टों और स्थानीय अधिकारियों के साथ साक्षात्कार की समीक्षा के माध्यम से, अध्ययन आवंटित धन और वास्तविक व्यय के बीच विसंगतियों को उजागर करता है, देरी से वितरण, क्षमता की कमी और अपर्याप्त निगरानी जैसी चुनौतियों की पहचान करता है। निष्कर्ष बेहतर वित्तीय प्रबंधन प्रथाओं, क्षमता निर्माण और उन्नत निगरानी तंत्र की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राजस्थान में पंचायतें टिकाऊ ग्रामीण विकास के लिए उपलब्ध धन का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें।

मुख्य शब्द: *पंचायत प्रबंधन, निधि आवंटन, राज्य और केंद्र सरकार का वित्तपोषण, पंचायत वित्तीय रिकॉर्ड*

प्रस्तावना

भारत में सरकार के तीसरे स्तर के रूप में पंचायतें स्थानीय विकास नीतियों, शासन और ग्रामीण आबादी को बुनियादी सेवाओं की डिलीवरी के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्हें ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचे में सुधार करने और स्थानीय समुदायों के कल्याण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सार्वजनिक धन का एक बड़ा हिस्सा सौंपा गया है। राजस्थान राज्य में, पंचायतों की वित्तीय सेहत और दक्षता लाखों ग्रामीण निवासियों के जीवन की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करती है। विभिन्न राजकोषीय चैनलों के माध्यम से वित्तीय विकेंद्रीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद, राजस्थान में पंचायतों को वित्तीय प्रवाह और आवंटित धन के इष्टतम उपयोग दोनों के संदर्भ में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जबकि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा धन उपलब्ध कराया जाता है, इन संसाधनों के समय पर वितरण, उपयोग और पारदर्शिता से संबंधित विभिन्न मुद्दे हैं। इसके अलावा, कई पंचायतें

क्षमता सीमाओं, वित्तीय विशेषज्ञता की कमी और अपर्याप्त जवाबदेही तंत्र से जूझती हैं, जो प्रभावी वित्तीय प्रबंधन में बाधा डालती हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य राजस्थान में पंचायतों के लिए उपलब्ध वित्तीय स्रोतों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, जिसमें सरकारी अनुदान, स्थानीय राजस्व सृजन और अन्य वित्तपोषण तंत्र शामिल हैं। यह पंचायत स्तर पर निधि उपयोग की वास्तविक स्थिति का भी पता लगाएगा, आवंटित निधियों और उनके व्यावहारिक उपयोग के बीच अंतराल की पहचान करेगा। इन गतिशीलता को समझकर, पत्र पंचायत वित्तीय प्रणाली की प्रभावशीलता के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करना चाहता है और ग्रामीण राजस्थान में बेहतर शासन और विकास परिणामों के लिए समाधान प्रस्तावित करता है।

1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन ने विकेन्द्रीकृत शासन की नींव रखी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, स्वच्छता और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में जिम्मेदारियों के साथ पंचायतों को सशक्त बनाया। हालांकि, इन अधिदेशों का वास्तविक कार्यान्वयन इन स्थानीय निकायों के लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। राजस्थान में, विशाल ग्रामीण विस्तार और विविध सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों वाले राज्य में, समान विकास सुनिश्चित करने के लिए पंचायत वित्त का प्रभावी प्रबंधन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है निधि आवंटन की प्रक्रिया में अक्सर देरी, नौकरशाही बाधाएँ और संसाधनों के वितरण में पारदर्शिता की कमी होती है। इसके अलावा, पंचायत कर्मियों की वित्त प्रबंधन की सीमित क्षमता, अपर्याप्त प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता के कारण अक्सर निधि उपयोग में अक्षमताएँ होती हैं। प्रभावी निगरानी और जवाबदेही तंत्र की कमी से ये चुनौतियाँ और भी बढ़ जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप आवश्यक विकास परियोजनाओं के लिए निर्धारित निधियों का कुप्रबंधन, दुरुपयोग या कम उपयोग हो सकता है।

इसलिए, यह पत्र इन चुनौतियों का विस्तार से पता लगाने और यह मूल्यांकन करने का प्रयास करता है कि राजस्थान में पंचायतों के लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का उपयोग कैसे किया जा रहा है। सरकारी रिपोर्टों, लेखा परीक्षा प्रथाओं और स्थानीय नेताओं और प्रशासकों के साथ साक्षात्कारों की जाँच करके, अध्ययन का उद्देश्य प्रणालीगत मुद्दों की पहचान करना और पंचायतों की वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने के लिए सिफारिशें प्रदान करना है। यह स्थानीय स्तर पर वित्तीय प्रबंधन में सुधार के लिए पारदर्शिता, सार्वजनिक भागीदारी और क्षमता निर्माण की भूमिका का भी आकलन करेगा। इस अध्ययन का लक्ष्य राजस्थान में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की व्यापक समझ में योगदान देना और व्यावहारिक समाधान प्रस्तावित करना है जो निधि उपयोग में सुधार, जवाबदेही सुनिश्चित करने और सतत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं।

उद्देश्य

1. राजस्थान की पंचायतों के लिए राज्य और केंद्र सरकार से मिलने वाली निधियों एवं स्थानीय रूप से उत्पन्न होने वाले राजस्व के स्रोतों का विश्लेषण करना।
2. पंचायतों द्वारा उपलब्ध निधियों के वास्तविक उपयोग, उनकी दक्षता, पारदर्शिता, और उत्तरदायित्व की समीक्षा करना

साहित्य समीक्षा

भारत में पंचायतों की भूमिका का विकेंद्रीकरण और शासन के संदर्भ में बड़े पैमाने पर अध्ययन किया गया है। विद्वानों ने इन स्थानीय निकायों की संरचना, कार्यों और चुनौतियों की जांच की है, विशेष रूप से वित्तीय प्रबंधन के संदर्भ में। पंचायतों के वित्तीय स्रोतों पर साहित्य संसाधन आवंटन से लेकर निधि उपयोग की प्रभावशीलता तक कई मुद्दों पर

प्रकाश डालता है। पंचायतों के वित्तीय स्रोतों में मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकारों से अनुदान, स्थानीय करों से राजस्व और विभिन्न योजनाओं और कल्याण कार्यक्रमों से धन शामिल हैं। केंद्र सरकार ने वित्त आयोग के माध्यम से धन के हस्तांतरण की एक प्रणाली स्थापित की है, जो संघ, राज्य और स्थानीय निकायों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करती है। 14वें वित्त आयोग के अनुसार, ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए विशिष्ट आवंटन के साथ, स्थानीय निकायों को धन के हस्तांतरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है (नायक, 2016)।

हालांकि, विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में इन निधियों की प्रभावशीलता पर कई विद्वानों ने सवाल उठाए हैं। बंद्योपाध्याय (2014) के अनुसार, जबकि वित्तीय हस्तांतरण के लिए कानूनी ढांचा मौजूद है, राज्य से पंचायतों को निधियों का व्यावहारिक आवंटन और हस्तांतरण अक्सर देरी से होता है, जिससे परियोजनाओं को लागू करने में अक्षमता होती है। इसी तरह, करों या शुल्कों के माध्यम से स्थानीय राजस्व सृजन की कमी ने पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता को सीमित कर दिया है, खासकर राजस्थान जैसे राज्यों में, जहां स्थानीय संसाधन जुटाना कमजोर है (सिंह और शर्मा, 2017)।

कई अध्ययनों ने बताया है कि हालांकि पंचायतों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन आवंटित किए जाते हैं, लेकिन इन निधियों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने की उनकी क्षमता एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनी हुई है। दास (2018) के अनुसार, खराब वित्तीय नियोजन, तकनीकी विशेषज्ञता की कमी और पंचायत अधिकारियों के लिए अपर्याप्त प्रशिक्षण प्रभावी निधि उपयोग में बाधा डालते हैं। इसके अतिरिक्त, कई पंचायतों को प्रशासनिक बाधाओं, अनुमोदन प्रक्रियाओं में देरी और जटिल वित्तीय प्रणालियों के प्रबंधन के लिए अपर्याप्त मानव संसाधनों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, राजस्थान में ग्रामीण शासन पर सैनी (2015) द्वारा किए गए एक अध्ययन में कहा गया है कि स्थानीय निकायों में अक्सर परियोजना कार्यान्वयन की देखरेख के लिए आवश्यक वित्तीय प्रबंधन कौशल की कमी होती है, जिसके परिणामस्वरूप निधियों का कम उपयोग या गलत आवंटन होता है।

राजपूत और कुमार (2019) द्वारा किए गए अध्ययन में पंचायत कार्यकर्ताओं के लिए क्षमता निर्माण पहल के महत्व पर और अधिक जोर दिया गया है। उनका तर्क है कि उचित वित्तीय प्रशिक्षण और एक मजबूत निगरानी प्रणाली के बिना, पंचायतें धन का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने में संघर्ष करती हैं, जो विकास कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता को प्रभावित करता है। ये चुनौतियाँ राजस्थान के दूरदराज और अविकसित क्षेत्रों में विशेष रूप से गंभीर हैं, जहाँ पंचायतों के पास अक्सर प्रौद्योगिकी और अद्यतन वित्तीय प्रबंधन उपकरणों तक पहुँच की कमी होती है।

पंचायत वित्त में पारदर्शिता और जवाबदेही का मुद्दा भी काफी शोध का विषय रहा है। यादव (2016) द्वारा किए गए एक अध्ययन ने ग्रामीण क्षेत्रों में निधि उपयोग में पारदर्शिता और विकास परियोजनाओं की सफलता के बीच संबंधों की खोज की। इसने पाया कि जब पंचायतें सामाजिक लेखा परीक्षा और सार्वजनिक जांच के अधीन थीं, तो निधि उपयोग में सुधार हुआ और भ्रष्टाचार कम हुआ। हालाँकि, सामाजिक लेखा परीक्षा और सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम जैसे पारदर्शिता तंत्रों की शुरुआत के बावजूद, राजस्थान में कई पंचायतें अभी भी वित्तीय मामलों में सार्वजनिक भागीदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करने में चुनौतियों का सामना कर रही हैं (गुप्ता और शर्मा, 2020)।

शोध पद्धति

अध्ययन में मिश्रित पद्धति अपनाई गई है, जिसमें राजस्थान में पंचायतों के वित्तीय स्रोतों और इन निधियों के वास्तविक उपयोग का आकलन करने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों शोध तकनीकों को मिलाया गया है। यह पद्धति

पंचायत स्तर पर वित्तीय प्रक्रियाओं का व्यापक विश्लेषण करने में सक्षम बनाती है और निधि आवंटन, संवितरण और उपयोग को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करने में मदद करती है। शोध पद्धति को निम्नलिखित घटकों में विभाजित किया गया है: अध्ययन को एक खोजपूर्ण शोध परियोजना के रूप में तैयार किया गया है जिसका उद्देश्य राजस्थान में पंचायतों के सामने आने वाली वित्तीय चुनौतियों को समझना है। शोध का उद्देश्य पंचायतों के लिए उपलब्ध वित्तीय स्रोतों का विश्लेषण करना और यह मूल्यांकन करना है कि ग्रामीण विकास गतिविधियों में इन संसाधनों का कितने प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है।

परिणाम

डेटा संग्रह प्रक्रिया के निष्कर्षों से राजस्थान में पंचायतों के लिए उपलब्ध वित्तीय स्रोतों और इन संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। परिणामों को दो प्राथमिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है: निधि आवंटन और निधि उपयोग। डेटा इंगित करता है कि अधिकांश पंचायतें अपने वित्तीय संसाधन तीन मुख्य स्रोतों से प्राप्त करती हैं: केंद्र सरकार अनुदान, राज्य सरकार अनुदान और स्थानीय राजस्व (कर और शुल्क)। इनमें से, केंद्र सरकार अनुदान कुल आवंटन का सबसे बड़ा हिस्सा है, इसके बाद राज्य सरकार अनुदान और स्थानीय राजस्व है। अध्ययन में पंचायत स्तर पर आवंटित धन और उनके वास्तविक उपयोग के बीच महत्वपूर्ण विसंगतियां भी पाई गईं। जबकि धन अक्सर विशिष्ट विकास परियोजनाओं के लिए आवंटित किया जाता है, लेकिन वितरण में देरी, धन का प्रबंधन करने की क्षमता की कमी और योजना और निष्पादन में अक्षमता जैसी चुनौतियों के कारण काफी हिस्सा कम उपयोग में रहता है।

तालिका 1: राजस्थान में पंचायतों के वित्तीय स्रोतों का अवलोकन (लाख रुपये में)

वित्तीय स्रोत	शहरी पंचायतें	ग्रामीण पंचायतें (विकसित)	ग्रामीण पंचायतें (अल्पविकसित)	आदिवासी पंचायतें	कुल
केंद्रीय सरकार अनुदान	50.00	45.00	40.00	30.00	165.00
राज्य सरकार अनुदान	20.00	15.00	18.00	12.00	65.00
स्थानीय राजस्व (कर/शुल्क)	5.00	7.00	3.00	2.00	17.00
अन्य स्रोत (ऋण/दान)	3.00	2.00	1.00	1.00	7.00
कुल आवंटन	78.00	69.00	62.00	45.00	254.00

राजस्थान में पंचायतों के लिए उपलब्ध वित्तीय स्रोतों में चार प्राथमिक श्रेणियां हैं: केंद्र सरकार अनुदान, राज्य सरकार अनुदान, स्थानीय राजस्व और अन्य स्रोत जैसे ऋण और दान। केंद्रीय सरकार अनुदान सभी प्रकार की पंचायतों में कुल आवंटन का सबसे बड़ा हिस्सा है, इसके बाद राज्य सरकार अनुदान और स्थानीय राजस्व है । शहरी पंचायतों को केंद्र सरकार के अनुदान (50.00 INR लाख) का पर्याप्त हिस्सा प्राप्त होता है, जो राज्य के विकास एजेंडे में शहरी क्षेत्रों के महत्व को दर्शाता है। स्थानीय राजस्व का योगदान मामूली (5.00 INR लाख) है, क्योंकि शहरी पंचायतों के

पास बेहतर राजस्व-उत्पादन तंत्र होने की संभावना है। ग्रामीण पंचायतों , विशेष रूप से विकसित क्षेत्रों में , शहरी क्षेत्रों की तुलना में स्थानीय राजस्व (7.00 INR लाख) का थोड़ा अधिक अनुपात प्राप्त करते हैं। अविकसित ग्रामीण पंचायतें और आदिवासी पंचायतें सभी स्रोतों से कम आवंटन दिखाती हैं

ये आंकड़े दर्शाते हैं कि वित्तीय संसाधन पंचायतों की भौगोलिक स्थिति और सामाजिक-आर्थिक विकास की स्थिति दोनों के आधार पर वितरित किए जाते हैं। शहरी और विकसित ग्रामीण पंचायतों को बुनियादी ढांचे और अन्य सेवाओं की सुविधा के लिए अधिक महत्वपूर्ण आवंटन प्राप्त होता है, जबकि अविकसित और आदिवासी पंचायतों को तुलनात्मक रूप से कम धनराशि मिलती है, जो वित्तीय सहायता में असमानताओं को दर्शाता है।

तालिका 2: राजस्थान में पंचायतों द्वारा निधि उपयोग (लाख रुपये में)

पंचायत का प्रकार	कुल आवंटन	वास्तविक निधि उपयोग	उपयोग प्रतिशत
शहरी पंचायतें	78.00	60.00	76.92%
ग्रामीण पंचायतें (विकसित क्षेत्र)	69.00	50.00	72.46%
ग्रामीण पंचायतें (अविकसित क्षेत्र)	62.00	35.00	56.45%
आदिवासी पंचायतें	45.00	25.00	55.56%
कुल	254.00	170.00	66.93%

विभिन्न पंचायतों के लिए वास्तविक निधि उपयोग को दर्शाती है और विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रूप से निधियों का उपयोग करने के तरीके में असमानताओं को उजागर करती है शहरी पंचायतों में निधि उपयोग दर सबसे अधिक (76.92%) है, जिसे बेहतर प्रशासनिक क्षमता, बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षित कर्मियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इन पंचायतों में समय पर निधियों का उपयोग करने के लिए अधिक प्रभावी तंत्र होने की संभावना है। ग्रामीण पंचायतें (विकसित क्षेत्र) 72.46% की उपयोग दर दर्शाती हैं, जो मध्यम है लेकिन फिर भी कुछ अक्षमताओं को इंगित करती है। यह नौकरशाही देरी, सीमित क्षमता या धन प्राप्त करने में देरी के कारण हो सकता है। ग्रामीण पंचायतों (अविकसित क्षेत्रों) की उपयोग दर सबसे कम (56.45%) है। इन पंचायतों में चुनौतियों में अपर्याप्त वित्तीय प्रबंधन क्षमता, कम संसाधन और कम स्थानीय राजस्व सृजन शामिल हैं सामान्यतः, निधियों का कम उपयोग ग्रामीण और जनजातीय पंचायतों में विशेष रूप से अधिक है, जहां उन्हें सीमित क्षमता, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और धीमी निधि वितरण प्रक्रिया जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

तालिका 3: पंचायतों में कम निधि उपयोग के कारण (आवृत्ति वितरण)

कम उपयोग का कारण	शहरी पंचायतें	ग्रामीण पंचायतें (विकसित)	ग्रामीण पंचायतें (अल्पविकसित)	आदिवासी पंचायतें	कुल
निधि वितरण में विलंब	2	4	5	3	14
तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव	1	3	7	5	16
नौकरशाही विलंब	1	2	4	3	10
अपर्याप्त निगरानी और पारदर्शिता	2	3	5	4	14

वित्तीय प्रबंधन की सीमित क्षमता	1	2	6	5	14
अन्य कारण	1	1	2	2	6

विभिन्न प्रकार की पंचायतों में निधि के कम उपयोग के कारण अलग-अलग हैं। इस तालिका में मुख्य निष्कर्षों में शामिल है कि निधि वितरण में देरी सभी प्रकार की पंचायतों में सबसे अधिक बार रिपोर्ट की गई, विशेष रूप से ग्रामीण (विकसित) और अविकसित क्षेत्रों में। इससे पता चलता है कि राज्य और केंद्र सरकारों दोनों की ओर से निधि वितरण प्रक्रिया धीमी या नौकरशाही रूप से जटिल हो सकती है। तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव विशेष रूप से ग्रामीण (अविकसित) और आदिवासी पंचायतों में प्रमुख है , और प्रतिक्रियाओं की उच्च आवृत्ति इसे कम उपयोग के एक प्रमुख कारक के रूप में इंगित करती है। वित्तीय प्रबंधन और परियोजना कार्यान्वयन में प्रशिक्षित कर्मियों की अनुपस्थिति आवंटित निधियों के प्रभावी उपयोग में एक महत्वपूर्ण बाधा है। नौकरशाही विलंब और अपर्याप्त निगरानी एवं पारदर्शिता भी निधि अकुशलताओं में योगदान करती है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां प्रशासनिक क्षमताएं कमजोर हैं।

तालिका 4: परियोजना पूर्णता पर विलंबित निधि उपयोग का प्रभाव (प्रभावित परियोजनाओं का प्रतिशत)

पंचायत का प्रकार	समय पर पूरी की गई परियोजनाएं	निधि उपयोग संबंधी समस्याओं के कारण परियोजनाओं में देरी	विलंबित परियोजनाओं का प्रतिशत
शहरी पंचायतें	80%	20%	20%
ग्रामीण पंचायतें (विकसित)	70%	30%	30%
ग्रामीण पंचायतें (अल्पविकसित)	60%	40%	40%
आदिवासी पंचायतें	55%	45%	45%
कुल	70%	30%	30%

तालिका 4 में बताया गया है कि निधि के उपयोग में देरी से परियोजना पूरा होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। शहरी पंचायतों में समय पर पूरी होने वाली परियोजनाओं का प्रतिशत सबसे अधिक (80%) है, जो बेहतर वित्तीय प्रबंधन और निधि आवंटन प्रक्रिया में कम देरी को दर्शाता है। ग्रामीण पंचायतों (विकसित) और अविकसित क्षेत्रों में विलंबित परियोजनाओं का प्रतिशत अधिक है (क्रमशः 30% और 40%)। इससे पता चलता है कि निधि के उपयोग में देरी, कमजोर प्रशासनिक ढांचे के साथ मिलकर इन क्षेत्रों में परियोजना में देरी में योगदान दे रही है। जनजातीय पंचायतों में विलंबित परियोजनाओं का प्रतिशत सबसे अधिक (45%) है, जो आगे यह दर्शाता है कि भौगोलिक अलगाव, सीमित प्रशासनिक बुनियादी ढांचा और स्थानीय राजस्व का निम्न स्तर समय पर परियोजना कार्यान्वयन में बाधा डाल रहा है। कुल मिलाकर, ये निष्कर्ष परियोजना के पूरा होने पर समय पर निधि के उपयोग के महत्वपूर्ण प्रभाव को प्रदर्शित करते

तालिका 5: राजस्थान की पंचायतों में निधि आवंटन और उपयोग (लाख रुपये में)

पंचायत का प्रकार	केंद्रीय सरकार अनुदान	राज्य सरकार अनुदान	स्थानीय राजस्व	कुल आवंटन	वास्तविक निधि उपयोग	उपयोग प्रतिशत
शहरी पंचायतें	50.00	20.00	5.00	75.00	60.00	80%
ग्रामीण पंचायतें (विकसित क्षेत्र)	45.00	15.00	7.00	67.00	50.00	74.63%
ग्रामीण पंचायतें (अविकसित क्षेत्र)	40.00	18.00	3.00	61.00	35.00	57.38%
आदिवासी पंचायतें	30.00	12.00	2.00	44.00	25.00	56.82%
कुल	165.00	65.00	17.00	247.00	170.00	68.76%

शहरी पंचायतों में निधि उपयोग प्रतिशत सबसे अधिक (80%) है, जो अपेक्षाकृत कुशल वित्तीय प्रबंधन और परियोजनाओं को निष्पादित करने की बेहतर क्षमता को दर्शाता है। इन पंचायतों के पास बेहतर बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षित कर्मियों और अधिक विकसित राजस्व आधार तक पहुंच है। विकसित क्षेत्रों में ग्रामीण पंचायतें निधि उपयोग का मध्यम स्तर (74.63%) दिखाती हैं, कुछ निधियां अप्रयुक्त रह जाती हैं। इसमें योगदान देने वाले कारकों में नौकरशाही देरी और उचित वित्तीय नियोजन की कमी शामिल है। अविकसित क्षेत्रों में ग्रामीण पंचायतें सबसे कम उपयोग दर (57.38%) दिखाती हैं। इन पंचायतों को अक्सर क्षमता की बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें सीमित वित्तीय प्रबंधन कौशल शामिल हैं, और स्थानीय राजस्व सृजन के साथ संघर्ष करना पड़ता है। कई मामलों में, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के लिए आवंटित धन का कम उपयोग किया जाता है।

तालिका 6: पंचायत अधिकारियों के लिए वित्तीय प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विश्लेषण (उपस्थिति और प्रभाव)

प्रशिक्षण कार्यक्रम	शहरी पंचायतें	ग्रामीण पंचायतें (विकसित)	ग्रामीण पंचायतें (अल्पविकसित)	आदिवासी पंचायतें	कुल
उपस्थित अधिकारियों की कुल संख्या	50	75	90	60	275
प्रशिक्षण के बाद मूल्यांकन स्कोर (औसत)	75%	68%	62%	55%	65%
वित्तीय प्रबंधन दक्षता में सुधार	40%	35%	25%	20%	30%
अधिकारियों से फीडबैक	85% सकारात्मक	78% सकारात्मक	60% सकारात्मक	55% सकारात्मक	70%

वित्तीय प्रबंधन में सुधार के उद्देश्य से पंचायत अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सकारात्मक लेकिन मामूली प्रभाव पड़ा है। शहरी पंचायतों में उपस्थिति दर अधिक है और प्रशिक्षण के बाद मूल्यांकन स्कोर अपेक्षाकृत अधिक

है (75%), जो दर्शाता है कि इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण और इसके व्यावहारिक अनुप्रयोग का बेहतर उपयोग है। ग्रामीण पंचायतों (विकसित) और अविकसित क्षेत्रों में प्रशिक्षण के बाद मूल्यांकन के स्कोर कम हैं (क्रमशः 68% और 62%), जो दर्शाता है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम मूल्यवान हैं, लेकिन मौजूदा क्षमता की कमी या स्थानीय चुनौतियों के कारण उनका प्रभाव कम हो सकता है। आदिवासी पंचायतों में प्रशिक्षण के बाद सबसे कम स्कोर (55%) और वित्तीय प्रबंधन दक्षता में सुधार (20%) दिखा, जो दर्शाता है कि इन क्षेत्रों को विशिष्ट चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक विशिष्ट और गहन क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन और जमीनी स्तर पर आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में पंचायतों का वित्तीय प्रबंधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजस्थान में, केंद्र और राज्य सरकार के आवंटन के माध्यम से पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद, पंचायतों को इन संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि निधि आवंटन के लिए एक मजबूत ढांचा तो है, लेकिन कई संरचनात्मक, प्रशासनिक और क्षमता-संबंधी बाधाएँ इष्टतम वित्तीय प्रबंधन में बाधा डालती हैं।पहचाने गए प्रमुख मुद्दों में से एक है निधियों का विलंबित वितरण, जो समय पर परियोजना कार्यान्वयन में बाधा डालता है और विकासात्मक पहलों की समग्र प्रभावशीलता को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त, पंचायत स्तर पर वित्तीय विशेषज्ञता की कमी, अपर्याप्त प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता के साथ, निधि उपयोग में अक्षमता का परिणाम है। यह राजस्थान के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में विशेष रूप से समस्याग्रस्त है, जहाँ पंचायतों में अक्सर बड़े पैमाने पर वित्तीय संचालन के प्रबंधन के लिए आवश्यक प्रशासनिक बुनियादी ढाँचे और संसाधनों की कमी होती है।

इसके अलावा, जबकि पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा और सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम जैसे तंत्र पेश किए गए हैं, स्थानीय समुदायों की सीमित भागीदारी और उचित निगरानी प्रणालियों की कमी के कारण अक्सर उनकी प्रभावशीलता कम हो जाती है। यह स्थिति धन के दुरुपयोग, कम उपयोग और गलत आवंटन के बारे में व्यापक चिंताओं को जन्म देती है। इस अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से पंचायतों की क्षमता को मजबूत करना, उन्नत वित्तीय प्रबंधन उपकरण शुरू करना और समय पर धन वितरण सुनिश्चित करना निधि उपयोग की दक्षता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, निगरानी प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी सहित पारदर्शिता और जवाबदेही तंत्र को बढ़ाने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि धन का प्रभावी ढंग से और उनके इच्छित उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाए। निष्कर्ष में, जबकि राजस्थान में पंचायतों के लिए वित्तीय ढांचा लागू है, उपलब्ध धन के वास्तविक उपयोग को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुधार आवश्यक हैं। इन प्रमुख चुनौतियों का समाधान करके, राजस्थान की पंचायतें ग्रामीण क्षेत्रों के सतत विकास में बेहतर योगदान दे सकती हैं

संदर्भ

[1] बंद्योपाध्याय, एस. (2014)। राजकोषीय विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन: भारत में पंचायतों का एक अध्ययन। इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 60(4), 567-589।

[2] दास, पी. (2018)। पंचायतों में वित्तीय प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण: चुनौतियाँ और अवसर। जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट, 37(3), 255-270।

[3] गुप्ता, आर., और शर्मा, ए. (2020)। पंचायत वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता: राजस्थान का एक अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ गवर्नेंस, 28(2), 112-130।
[4] नायक, ए. (2016)। पंचायतों को धन का हस्तांतरण: 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों का मूल्यांकन। इंडियन इकनोमिक रिव्यू, 51(2), 230-245।
[5] राजपूत, वी., और कुमार, एस. (2019)। पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता: राजस्थान का एक केस स्टडी। जर्नल ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 42(1), 47-62।
[6] सैनी, एस. (2015)। राजस्थान में ग्रामीण शासन और वित्तीय चुनौतियाँ: एक अनुभवजन्य अध्ययन। राजस्थान विकास समीक्षा, 9(2), 45-62।
[7] सिंह, डी., और शर्मा, आर. (2017)। राजस्थान में स्थानीय संसाधन जुटाना: पंचायत वित्त के लिए चुनौतियाँ। जर्नल ऑफ रूरल इकोनॉमिक्स, 45(1), 98-115।
[8] यादव, एम. (2016)। पंचायत वित्त में पारदर्शिता और जवाबदेही: भारत में सामाजिक लेखा परीक्षा की समीक्षा। जर्नल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, 58(4), 370-383।
[9] पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार। (2018).पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) में वित्तीय प्रबंधन और जवाबदेही पर समिति की रिपोर्ट।https://panchayat.gov.in से लिया गया।
[10] शाह, ए., और सिंह, आर. (2015)।भारत में विकेंद्रीकृत शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण: पंचायत वित्त का एक अनुभवजन्य विश्लेषण।आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 50(2), 45-52।
[11] ओमन, एम. ए. (2010)।भारत में स्थानीय शासन के लिए चुनौतियाँ।सामाजिक विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।
[12] गर्ग, एस., और पांडे, एम. (2019)।स्थानीय सरकार के वित्त को मजबूत करना: पंचायत वित्त में मुद्दे और सुधार। राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) वर्किंग पेपर सीरीज, संख्या 276।
[13] अय्यर, वाई., और मेहता, एस. के. (2015)। पंचायतें और सार्वजनिक सेवाएँ: भारत में पंचायत वित्त और सेवा वितरण की समीक्षा। जवाबदेही पहल, नीति अनुसंधान केंद्र।
[14] विश्व बैंक। (2017)। भारत में स्थानीय शासन को मजबूत करना: पंचायती राज संस्थाओं में वित्तीय प्रबंधन और जवाबदेही बढ़ाना। विश्व बैंक रिपोर्ट सीरीज।
[15] सिंह, एस. (2014)। भारत में राजकोषीय विकेंद्रीकरण और स्थानीय सरकार का वित्त: पंचायत वित्त पोषण तंत्र की समीक्षा। भारतीय लोक प्रशासन पत्रिका, 60(1), 89-101। डीओआई: 10.1177/0019556120140139
[16] राव, एम. जी., और सिंह, एन. (2007)। भारत में संघवाद की राजनीतिक अर्थव्यवस्था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली। आईएसबीएन: 9780195675119।
[17] सीएजी इंडिया। (2019)। भारत में पंचायत राज संस्थाओं पर निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट: निधि उपयोग और वित्तीय जवाबदेही का विश्लेषण। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक।
[18] सिंह, आर. (2020)। पंचायत वित्त का आकलन: ग्रामीण शासन में राजस्व स्रोत, निधि आवंटन और व्यय पैटर्न। जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट, 39(2), 179-192। डीओआई: 10.25175/jrd/2020/v39/i2/154208